

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ1 ()स्था./आकाशि/गे.फे./2021 - 1255

दिनांक: 11.6.2021

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फौकल्टी आमन्त्रित करने हेतु।

संदर्भ:- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा. वि. लो. नि./2021
दिनांक 30.03.2021

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में नवीन सृजित हुए हैं एवं ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में गेस्ट फौकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे-

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या सबल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेष अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फौकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साधिलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में गेस्ट फौकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के विन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के विन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्यापीन की जा सकेगी।
2. ऐसे महाविद्यालयों जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में महाविद्यालयों को विषय विशेष का अध्यापन गेस्ट फौकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।
3. वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में नवसृजित महाविद्यालयों में गेस्ट फौकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जा जायेगी।
4. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थियों/महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अन्तर्गत संनियुक्त शैक्षणिक अधिकारी को ही गेस्ट फौकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। निजी अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी।
5. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फौकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फौकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फौकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर राक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फौकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
7. गेस्ट फौकल्टी पर आमन्त्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगे, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।
8. यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2021-22 के बजट सत्र हेतु ही है।

(A) वित्त विभाग के परिपत्र को बिन्दु संख्या 4 (ग) में उल्लिखित संस्था प्रदान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आकलन करे। शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रचार कर निर्धारित शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।


(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पाठकों के लिये निर्धारित एवं संसूचित विशा निर्देश/शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थानों के आधार पर परीक्षण कर मात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु आयुक्तालय में संयुक्त निर्देशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जायेगा। आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् गैस्ट फौकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में जगदी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु शैक्षणिक अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षक के विरुद्ध यथासम्भव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इसको व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु वापस नहीं किया जा सकेगा।


(E) इस योजना के तहत गैस्ट फौकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) गैस्ट फौकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।


(संदेश निगम)
आयुक्त

संलग्न:-

1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक पे.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021
2. गैस्ट फौकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
4. अमाही सहायक 17 211 प्रस्ताव उपलब्ध करे


17/08/2021

डॉ. वार. पी. सिंह
आयुक्त (विशेष)

विद्या सम्बलन योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए यशियता के मानदंड

क्र.सं.	शैक्षणिक रिकॉर्ड	स्कोर			
		80 प्रतिशत और उससे अधिक =21 80% &above=21	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 19 60% to less than 80% =19	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम = 16 55% to less than 60% =16	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम = 10 45% to less than 55% =10
1	स्नातक				
2	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25 80% &above=25	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 23 60% to less than 80% =23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (असपन्न वर्ग) / शारीरिक रूप से निशकृत अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम = 20 55% (50% in case of SC/ST/OBC (Non Creamylayer)/PWD) to less than 60% =20	
3	एम. फिल	60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07 60% &above=07	55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम = 05 55% to less than 60% =05		
4	पी एच डी	25			
5	जेआरएफ सहित नेट	10			
	नेट	08			
	स्लेट या सेट	05			
6	शाब्द प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शाब्द प्रकाशन हेतु 2 अंक)	06			
7	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक) #	10			
8	पुरस्कार				
	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अंतरराष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	03			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02			

तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट :-

- (क) (i) एमफिल पीएचडी अधिकतम - 25 अंक
(ii) जे आर एफ/नेट/सेट अधिकतम - 10 अंक
(iii) अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम - 03 अंक

hah
अनुसूक्त
11/06.
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर